

## Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर ? 2. श्री मुरलीधर मोहोल जी ।

**सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) :** अध्यक्ष महोदय, श्री किंजरापु राममोहन नायडू की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1348 /18/24]

**1201½ hrs**

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) :** सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की उप-धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 24 जुलाई, 2024 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/रेग./2024/10 में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-23/2018 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग और सकल मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-23/2019 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-31/2024 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतरा-राज्य पारेषण और वितरण में संयोजकता और मुक्त पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-21/2024 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2024 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-34/2024 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1349 /18/24]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2024 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 के प्रभावी होने की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(तीन) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चार) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/271/2024/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 1350 /18/24]

(4) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत का.आ.4490(अ) जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.4554(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 1351 /18/24]

(5) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1352 /18/24]

(7) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1353 /18/24]

(8) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1354 /18/24]

(9) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1355 /18/24]

(10) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[Placed in Library, See No. LT 1356 /18/24]

(11) (एक) फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1357 /18/24]

(12) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1358 /18/24]

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा ।

- (दो) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1359/18/24]

- (ख) (एक) डीएनएच और डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) डीएनएच और डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1360 /18/24]

- (ग) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1361 /18/24]

- (घ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे

तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1362 /18/24]

(ड) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1363 /18/24]

(च) (एक) टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1364 /18/24]

(छ) (एक) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1365 /18/24]

- (ज) (एक) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1366 /18/24]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

- (1) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भिवाडी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भिवाडी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1367 /18/24]

- (2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1368 /18/24]

(3) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदी (विशाखापट्टनम) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदी (विशाखापट्टनम) के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1369 /18/24]

(4) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1370 /18/24]

(5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1371 /18/24]

(6) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1372 /18/24]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का नियतन और संग्रहण) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1373 /18/24]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (एक) केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) अधिसूचना सं. सा.का.नि.451(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.407(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 1374 /18/24]

- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 2874(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-130ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 18.700 तथा कि.मी. 25.900 से कि.मी. 38.000 (वर्तमान कि.मी. 7.750 से कि.मी. 26.542; कि.मी. 32.093 से कि.मी. 44.186) तक बिलासपुर से मुंगेली खंड तक

पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दो) का.आ. 2875(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-4 के डिजाइन कि.मी. 427.300 से कि.मी. 452.425 तक दिल्ली-वडोडरा एक्सप्रेसवे की आठ लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीन) का.आ. 2876(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-12 (पुराना एनएच-34) के डिजाइन कि.मी. 48.553 से कि.मी. 115.272 (वर्तमान कि.मी. 48.553 से कि.मी. 115.272) तक बारासात-कृष्णानगर खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चार) का.आ. 2877(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 31.800 (एनएच-65क के वर्तमान कि.मी. 185.000 से कि.मी. 29.400) तक कोडाड-खम्माम खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पांच) का.आ. 2978(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो बिहार राज्य में एनएच सं. 22 (पुराना एनएच-83) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 127.217 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 127.000) तक पटना-गया-डोभी खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छह) का.आ. 2979(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में एनएच सं. 1ए (नया एनएच-44) के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 156.900 तक उधमपुर-रामबन-मारूग खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1375 /18/24]

(सात) का.आ. 3017(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच- 52 (पुराना एनएच -211) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 390.000 से कि.मी. 457.231 तक बोधरे-धुले खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(आठ) का.आ. 3018(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में एनएच 23 (नया एनएच -43) के डिजाइन कि.मी. 26.00 से कि.मी. 89.170 (वर्तमान कि.मी.

26.00 से कि.मी. 88.600) तक एनएच-23 (नया एनएच-43) के पलमा-गुमला खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(नौ) का.आ. 3041(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 344एम के एसपीयूआर के रूप में हरियाणा में गांव बरवासानी, सोनीपत में एनएच- 352ए के कि.मी. 00.000 से कि.मी. 29.600 के बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली (एनएच-344एम के कि.मी. 07.750 पर) से शुरू होकर सोनीपत बाईपास तक एनएच-344पी (यूईआर पैकेज-04) की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दस) का.आ. 3042(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच 125ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 74.619 तक दांगियावास-जाजीवाल खण्ड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(ग्यारह) का.आ. 3043(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के कि.मी. 198.000 से कि.मी. 263.000 (डिजाइन चैनेज) तक भरूच-सूरत खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बारह)

का.आ. 3044(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच 8ई के कि.मी. 221.610 से कि.मी. 263.000 (डिजाइन चैनेज कि.मी. 222.400 से कि.मी. 263.430) और एनएच-8डी के कि.मी. 120.900 से कि.मी. 121.150 तक कोडिनार-वेराबल खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1376 /18/24]

(तेरह)

का.आ. 3119(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच सं. 752जी के डिजाइन कि.मी. 21.427 से कि.मी. 64.000 तक पिम्पलनेर से सताना खण्ड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौदह)

का.आ. 3130(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच सं. 548एच के डिजाइन कि.मी. 71.530 से कि.मी. 132.958 तक अम्बोली जंक्शन-अजारा-संकेश्वर खण्ड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पंद्रह)

का.आ. 3131(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 55

(पुराना एनएच सं. 42) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 0.400 (वर्तमान कि.मी. 0.400) से डिजाइन चैनेज कि.मी. 60.200 (वर्तमान कि.मी. 60.200) तक कटक-अंगुल खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सोलह) का.आ. 3132(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 55 (पुराना एनएच सं. 42) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 60.200 से कि.मी. 111.410 (वर्तमान कि.मी. 60.200 से कि.मी. 112.000) तक कटक-अंगुल खण्ड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्रह) का.आ. 3208(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच 44 के डिजाइन कि.मी. -0.687 से डिजाइन कि.मी. 57.568 (पठानकोट-जम्मू खण्ड के वर्तमान कि.मी. 86 से जम्मू श्रीनगर खंड के वर्तमान कि.मी. 15.068 तक) तक जम्मू रिंग रोड (एनएच-244ए) की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठारह) का.आ. 4791(अ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में डिजाइन कि.मी. 184.912 से कि.मी. 230.060 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 189.700 ? कि.मी.

237.000) तक एनएच-75क के हासन-मारनहाली खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1377 /18/24]

(उत्तीस) का.आ. 4818(अ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-161ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 45.535 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 45.878) तक ओराड से बीदर खण्ड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बीस) का.आ. 4872(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई4 के कि.मी. 29.100 से कि.मी. 417.810 के खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इक्कीस) का.आ. 4873(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच-07 के डिजाइन कि.मी. 35.500 से कि.मी. 44.500 तथा एनएच-09 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.450 तक मलोट-मंडी डबवाली खण्ड (मलोट और मंडी डबवाली बाईपासों सहित) की चार या

अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बाईस)

का.आ. 4908(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 53 (पुराना एनएच - 200) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 388.000 (वर्तमान कि.मी. 388.382) से डिजाइन चैनेज कि.मी. 427.400 (वर्तमान कि.मी. 428.074) तक दुबुरी-चंडीखोले खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेईस)

का.आ. 4907(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 42 (नया एनएच - 55) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 112.000 से कि.मी. 262.858 (वर्तमान कि.मी. 112.000 से कि.मी. 265.000) तक अंगुल संबलपुर खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौबीस)

का.आ. 4914(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच - 42 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 76.00 से कि.मी. 129.300 (वर्तमान कि.मी. 76.00 से कि.मी. 133.471) तक एनएच- 42 के अनंतपुरामू-मुद्दीगुब्बा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पच्चीस) का.आ. 4915(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच ? 167बी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 143.320 से कि.मी. 189.050 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 143.505 से कि.मी. 188.445) तक मलकोंडा से सिंहरायकोंडा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छब्बीस) का.आ. 4929(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच ? 149बी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.200 (वर्तमान कि.मी. 5.750 से कि.मी. 27.150) तक चाम्पा-कोरबा-काटघोड़ा खंड की पक्के शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्ताईस) का.आ. 4043(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 14.900 से कि.मी. 69.700 (वर्तमान कि.मी. 14.900 से कि.मी. 70.000) तक चिंताकुंता से अडोनी खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठ्ठाईस) का.आ. 4369(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 83 (पुराना एनएच-67) के डिजाइन कि.मी. 1.600 से कि.मी. 16.690 तथा कि.मी. 29.850 से कि.मी. 80.133 तक नागपट्टिनम से तंजावुर खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनतीस)

का.आ. 4371(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 383 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.000 के डिंडीगुल-नाथम-कोट्टमपट्टी खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तीस)

का.आ. 4385(अ) जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45ए (नया एनएच-332) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 29.000 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.624) तक विलुपुरम से पुदुचेरी खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1379 /18/24]

(इकतीस)

का.आ. 4394(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752ई के डिजाइन कि.मी. -1.800 से

कि.मी. 42.417 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 44.400) तक औरंगाबाद से बिडकीन से पैठान खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बत्तीस)

का.आ. 4506(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548सी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.786 (वर्तमान कि.मी. 565.653 से कि.मी. 529.867) तक खामगांव देउलगांव सकरशा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैंतीस)

का.आ. 4540(अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-61 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 40.600 तक [सिन्नैर-शिर्डी-अहमदनगर (एनएच-160) सड़क के वर्तमान कि.मी. 163.400 से एनएच-222 के कि.मी. 228.700 तक] अहमदनगर बाईपास खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौंतीस)

का.आ. 4584(अ) जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (नया एनएच-16) के कि.मी. 355.000 से कि.मी. 434.15 तक चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड की चार या

अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पैंतीस) का.आ. 4657 (अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 50 के कि.मी. 54.370 से कि.मी. 101.400 तक बीदर-हुमनाबाद खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छत्तीस) का.आ. 3634 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (नया एनएच सं. 77) के डिजाइन कि.मी. 37.600 से कि.मी. 219.782 (वर्तमान कि.मी. 37.600 से कि.मी. 214.200) तक तिंडीवनम से कृष्णागिरी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1380 /18/24]

(सैंतीस) का.आ. 3635 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353जे के डिजाइन कि.मी. 34.000 से कि.मी. 62.035 तक नागपुर रिंग रोड खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अड़तीस) का.आ. 3711 (अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच - 968 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 67.950 तक मोकल सरकारीतल खंड तथा एनएच- 68 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 125.573 तक तनोट-जेसलमेर खंड की दो/चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनतालीस) का.आ. 3712(अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 23 (नया एनएच - 143) के डिजाइन कि.मी. 287.200 से कि.मी. 337.050 (वर्तमान कि.मी. 287.205 से वर्तमान कि.मी. 337.882) तक राजमुंडा-बारकोटे खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चालीस) का.आ. 3802(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच ? 08 (नया एनएच-58) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 58.245 से कि.मी. 173.30 तक ब्यावर-गोमती खंड की पक्के शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकतालीस) का.आ. 3803(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 911 के डिजाइन कि.मी. (-)0.500 से कि.मी. 101.000 तक रायसिंह नगर-गजसिंहपुर-कर्णपुर-साधुवाली (गंगानगर) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो

लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बयालीस) का.आ. 3829(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना एनएच-8) के डिजाइन कि.मी. 108.700 से कि.मी. 192.000 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 108.700 से कि.मी. 192.000) तक वड़ोदरा-भरुच खंड की चार/छह लेन खंडों की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैंतालीस) का.आ. 3857(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.046 (वर्तमान कि.मी. 124.600 से कि.मी. 183.400) तक रनीगुंटा-नायडूपेटा खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1381 /18/24]

(चवालीस) का.आ. 3858(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 85.000 तक एनएच-544एच तक थोपुर-मेटूर-भवानी-इरोड खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पैंतालीस) का.आ. 3859(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 32 के कि.मी. 0.000 से 32.290 तक पांडेचेरी-तिंडिवनम खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छयालीस) का.आ. 3860(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग ? 327ई के डिजाइन कि.मी. 49.000 से कि.मी. 93.983 (वर्तमान कि.मी. 49.000 से कि.मी. 93.983) तक बहादुरगंज से अररिया खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सैंतालीस) का.आ. 3921(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516ई के डिजाइन कि.मी. 2.400 से कि.मी. 51.772 तक पाडेरु-गोंडीगुड़ा और गोंडीगुड़ा-अराकू (भालूगुड़ा तक) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अड़तालीस) का.आ. 3923(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में डिजाइन कि.मी. 106.000 से कि.मी. 136.520 और 0.000 से 32.900 (वर्तमान कि.मी.

105.171 से कि.मी. 135.740 तथा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 34.230) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-214 और एनएच-214ए (नया एनएच- 216) के पसरलापुडी से लोसारी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1382 /18/24]

(उनचास) का.आ. 3924(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 (पुराना एनएच-32) के पुरुलिया (जेएचआर बार्डर)? बलरामपुर-चांडिल खंड के डिजाइन कि.मी. 70.524 से कि.मी. 453.705 (वर्तमान कि.मी. 70.524 से कि.मी. 153.705) (वर्तमान कि.मी. 70.524 से कि.मी. 153.705) तक पुरुलिया (जेएचआर बार्डर)? बलरामपुर-चांडिल (एनएच-33 के साथ जंक्शन) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पचास) का.आ. 3925(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-26 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 486.300 से कि.मी. 538.365 (वर्तमान कि.मी. 486.831 से कि.मी. 537.600) तक रायपुर-विशाखापट्टनम खंड की पक्के

शोल्डर सहित दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इक्यावन) का.आ. 3926(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167बीजी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 36.400 से कि.मी. 107.224 (वर्तमान कि.मी. 36.400 से कि.मी. 107.830) तक दत्तालुरु से कवाली खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बावन) का.आ. 4042(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-730सी के कि.मी. 52.770 से कि.मी. 114.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-730सी पर 52.770 कि.मी. पर शुरू होने वाला और कि.मी. 114.000 पर समाप्त होने वाला) तक अल्लाहगंज-मीरनपुर-कटरा खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तिरपन) का.आ. 3209(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में कि.मी. 263.000 से कि.मी. 502.000 एनएच-8 तक सूरत-दहीसर खंड की छह लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौवन) का.आ. 3237(अ) जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच सं. 31 के डिजाइन कि.मी. 153.300 से कि.मी. 197.900 (एनएच- 31 के वर्तमान कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.741) तक बख्तियारपुर-मोकामा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1383/18/24]

(पचपन) का.आ. 3238(अ) जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20 (पुराना एनएच-31) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 50.890 (वर्तमान कि.मी. 152.780 से कि.मी. 101.650) तक बख्तियारपुर-राजोली खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छप्पन) का.आ. 3441(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में एनएच सं. 127 के डिजाइन कि.मी. 278.600 से कि.मी. 315.315 (वर्तमान कि.मी. 278.58 से कि.मी. 315.315) तथा एनएच सं. 715 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.300 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.300) तक नौगांव बाईपास से कलियाबोर तिनियाली से दोलाबारी खंड की पक्के

शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्तावन)

का.आ. 3442(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में दोलाबारी से जामूगुरी खंड के डिजाइन कि.मी. 17.300 से कि.मी. 182.000 और जामूगुरी से गोहपुर खंड की एनएच-715 के डिजाइन कि.मी. 182.000 से कि.मी. 265.500 तक एनएच-15 की (वर्तमान कि.मी. 182.000 से कि.मी. 264.100) चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठ्ठावन)

का.आ. 3460(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 927ए के डिजाइन कि.मी. 151.400 से डिजाइन कि.मी. 211.100 (वर्तमान कि.मी. 148.170 से वर्तमान कि.मी. 211.100) तक देवल-डूंगरपुर-हिराता-वर्दा-सागवाड़ा खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनसठ)

का.आ. 3461(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच सं. एनई-4 के 844.667 से कि.मी. 936.141 (844.667 से शुरू होने वाली और शुल्क प्लाजा सीएच. 936.141 पर समाप्त होने वाली) (लंबाई 91.474 कि.मी.) तक खंड की

आठ लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 1384 /18/24]

(साठ) का.आ. 3518(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 से पैकेज-12 से सीएच. 0.000 से 397.700) की चार लेन ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकसठ) का.आ. 3543(अ) जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (पुराना एनएच सं. 47) के कि.मी. 486.500 से कि.मी. 499.500 (कोल्लम बाईपास खंड) के उपयोग हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3132(अ) के अधिक्रमण में परियोजना हेतु प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बासठ) का.आ. 3604(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 965सी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 48.375 से कि.मी. 79.533 (वर्तमान कि.मी. 51.575 से कि.मी. 82.800) तक पंढरपुर से संगोला खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तिरसठ) का.आ. 3605(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 42.345 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 43.925) तक इंदापुर से अग्रडंडा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौसठ) का.आ. 3606(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच- 25 विस्तार के कि.मी. 0.972 से कि.मी. 69.910 तक बाड़मेर-घागरिया खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(4) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1385 /18/24]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गा दास उइके) : सभापति महोदय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1386/18/24]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : सभापति महोदय, श्री तोखन साहू जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-
  - (एक) का.आ. 3587(अ) जो 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है ।
  - (दो) का.आ. 3588(अ) जो 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है ।
  - (तीन) का.आ. 4018(अ) जो 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 1387 /18/24]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1388 /18/24]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1389 /18/24]

(2) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1390 /18/24]

- (3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1391 /18/24]

- (4) (एक) नमामि गंगे, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) नमामि गंगे, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1392 /18/24]

- (5) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।  
(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1393 /18/24]

- (6) (एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1394 /18/24]

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1395 /18/24]

**12.02 hrs**